

Panchayat levy of taxes and rates and tariff thereof

A. Property tax

(1) आवासीय भवनो पर सम्पति कर

आवासीय भवन के कुल क्षेत्र के आधार पर:-

क्र०सं०	विवरण	रेट
1	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 40 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	20/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 40 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	50/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

3	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) 100 वर्ग मीटर क्षेत्र बना है।	75/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
---	--	---

या

प्रत्येक आवास (मकान) के लिए स्थाई कर लागू कर सकती है। उदाहरणतः व्यक्ति के प्रत्येक मकान पर मु० 50/- प्रति वर्ष।

(ग्राम पंचायते उक्त दरों को अपने स्तर पर निर्धारित करेगी और यह भी निर्णय ले सकती है कि बी०पी०एल० (गरीबी रेखा से नीचे) के गृह स्वामी और गैर बी०पी०एल० (गरीबी रेखा से उपर) के गृह स्वामीयों से आवासीय कर अलग-अलग दरों पर भी निर्धारित की जा सकती है।)

(2) वाणिज्यिक भवनों पर सम्पति कर

क्रम सं०	विवरण	उदाहरण के लिए दरें
1	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है और जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से कम हो।	मुल्य 100/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां गृह स्वामी का आवास (मकान) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है और जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से कम हो।	मुल्य 150/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

होटल

जो होटल पंचायत क्षेत्र में निर्मित है से निम्न प्रकार से कर की दरें निर्धारित की जा सकती हैं:-

क्रम सं०	विवरण	उदाहरण के लिए रेट
1	जहां पर होटल में 5 से कम कमरे हो।	500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
2	जहां पर होटल में 5 से अधिक 10 तक कमरे हो।	1000/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
3	जहां पर होटल में 10 से अधिक 15 तक कमरे हो।	2500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

4	जहां पर होटल में 15 से अधिक 20 तक कमरे हो।	2500/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।
5	जहां पर होटल में 20 से अधिक कमरे हो।	5000/- प्रति वर्ष या ग्राम पंचायत जैसा उचित समझे।

B. Liquor cess

Cess of Rs.1/- per bottle of liquor sold in the rural areas will be collected and transferred to the Gram Panchayats for utilization in developmental activities.

C. Duty on mobile communication service towers

Gram Panchayats have been authorized to levy duty on Mobile Communication Service providers for installation of Mobile Communication Tower at the rate of Rs.10,000/- per tower and annual renewal fee at the rate of Rs.5000/- per annum per tower with the following conditions:-

- An option for lump sum payment of renewal fee may be given in blocks of 5 years (with 25% discount for upfront payment of the entire amount including renewal fees for 5 years).

- b) There shall be periodic increase in renewal fee by 25% after every 5 years.
- c) An additional amount at the rate of 60% shall be levied for every additional antenna which shares the same tower.
- d) A penalty @ 5% per week of the annual renewal fee would be payable by the Telecom Service Provider if payment is delayed beyond thirty days.

D. Land Revenue

Details of the land revenue collected can be accessed by following the links listed below (by Department of Revenue):

Mutation Fees -

https://emerginghamchal.hp.gov.in//themes/backend/uploads/notification/Levis/Fees_Mutation.pdf

Registration/ Documents Fees -

https://emerginghamchal.hp.gov.in//themes/backend/uploads/notification/Levis/Notification%20for%20Registration%20Fees_Revenue.pdf

Rates of Stamp Duty -

<https://emerginghamchal.hp.gov.in//themes/backend/uploads/notification/Levis/RATES%20OF%20STAMP%20DUTY.pdf>

E. Service fee

Panchayat may levy following fees namely: -

- a) Teh - Bazari from the shopkeepers in the fairs
- b) Service fee for cleaning of streets, lighting of streets, sanitation, solid and liquid waste management, parking of vehicles, as the case may be;
- c) fee for registration of animals sold in the Sabha area; and
- d) water rate where water is supplied by the Gram Panchayat.
(Power to fix rates with Gram Panchayat).

Rates:

- **मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी** दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। मान लो दुकान 10 वर्ग मी० है तो मु० 30/- रू० प्रतिदिन के हिसाब से $30 \times 10 = 300/-$ इसी प्रकार से जितने दिन तक मेला चलेगा उतने दिनों की गणना की जाएगी।
- **गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य कूड़ा-कचरा प्रबन्धन** के लिए ग्राम पंचायत एक समय फीस के रूप में तथा उसके उपरान्त प्रतिमास फीस की दर निर्धारित कर सकती है। मान लो एक समय उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत 100 या 200 रू० फीस निर्धारित करती है उसके उपरान्त वे प्रति परिवार के हिसाब से 5 या 10 रू० प्रतिमास कर लगा सकती है।
- **वाहनों की पार्किंग** के लिए सेवा फीस, जहां पर पंचायत ने वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की है वहां पर ग्राम पंचायत छोटे वाहनों के लिए 6 घण्टे के लिए 5 रू० 12 घण्टे के लिए 10 रू० तथा 24 घण्टे के लिए 15 रू० की फीस निर्धारित कर सकती है इसी प्रकार से बड़े वाहनों के लिए इससे दुगनी राशी की दर से फीस लगा सकती है।
- **सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण** के लिए फीस ग्राम पंचायत प्रति पशु की दर से लगा सकती है। उदाहरणतः 10 रू० प्रति पशु या पशु के विक्रय मु० का 2 प्रतिशत के हिसाब से।
- **पानी की दर**, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है वहां प्रत्येक घर में नल के हिसाब से अर्थात् 10 रू० प्रति नल प्रति मास के हिसाब से या 100 रू० प्रति मासिक दर से ग्राम पंचायत प्रति पानी के कुनैक्शन की दर लगा सकती है।